राजस्थान सरकार
प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2020-21

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति	2–3
3.	अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढॉचा	4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य	5
5.	प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	6–8
6.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ	9–11

1 <u>भूमिका</u> :— आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन ''दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रकिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप—10) विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये है, जिसमे से एक पद न्यायिक सेवा का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

2. **अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति** :–

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निदेशक अभियोजन	1	0	1	वि.शा.स.गृह के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	1	1	0	–
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	2	0	2	1 पद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 1 पद अभियोजन निदेशालय उप निदेशक पद के विरुद्ध कार्यरत
4.	उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक	14	13	1	2 पद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एव 1 पद लोक अभियोजक श्रीगंगानगर
5.	सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक	90	86	4	36 पद जिला स्तर पर 16 पद अपर लोक अभियोजक 16 पद विशिष्ट लोक अभियोजक 01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद निदेशालय चिकित्सा विभाग 16 पद विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय 02 पद अभियोजन निदेशालय 01 पद आर.पी.ए. 01 पद बम ब्लास्ट न्यायालय
6.	अभियोजन अधिकारी	281	276	5	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद आर.पी.ए. 02 पद पी.टी.एस. 01 पद ए.टी.एस. 02 पद जे.डी.ए. शेष पद न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	429	286	143	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) शेष पद न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	0	2	–
9.	निजि सचिव	1	1	0	
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	3	2	1	–
11.	संस्थापन अधिकारी	2	2	0	–
12.	प्रशासनिक अधिकारी	5	0	5	
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	46	41	5	–
14.	निजि सहायक	5	4	1	–
15.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	0	1	–

16.	कनिष्ठ लेखाकार	24	18	6	–
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1	–
18.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	–
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0	–
20.	शीघ्र लिपिक	9	0	9	–
21.	सूचना सहायक	39	19	20	
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	125	115	10	–
23.	वरिष्ठ सहायक	296	97	199	
24.	कनिष्ठ सहायक	547	525	22	
25.	ड्राईवर	1	1	0	–
26.	जमादार	31	4	27	–
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	715	159	556	–
	योग	**2673**	**1652**	**1021**	**–**

3 अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	अतिरिक्त निजी सचिव
10	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
11	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार
12	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
13	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

4. **विभागीय प्रमुख कार्य** — अभियोजन विभाग का मुख्य कार्य आपराधिक प्रकरणो मे पैरवी किया जाना है। इस संबंध मे पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है :—

(अ) न्यायिक मजिस्ट्रेट — राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(ब) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट— राज्य के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(स) विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — राज्य मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणो की सुनवाई हेतु राज्य मे 16 न्यायालय सृजित है। इन न्यायालयो मे पैरवी हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 16 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(ड) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम — राज्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे गठित विशेष न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 9 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(च) विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार — राज्य मे गठित विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचारो मे से 2 न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 2 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(छ) विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड — राज्य मे विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है।

5. आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलनाः—

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष दिसम्बर 2020 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 796830 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 180011 (22.60 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 616819 (77.40 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (93.35 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 492032 थी, जिनमे से 46435 (9.40 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 445597 (90.60 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें जिसमें दोष सिद्धी 66.47 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह दिसम्बर 2020 तक 3586 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 396 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3190 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 53.30 प्रतिशत रहा है।

वर्ष दिसम्बर 2020 तक महिलाओ पर अत्याचार से संबंधित कुल 51719 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 6046 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 45673 प्रकरण विचाराधीन हैं। दोष सिद्वि 25.36 प्रतिशत रही।

वर्ष जून 2020 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 12230 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 481 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 11749 प्रकरण विचाराधीन हैं। सजायबी 26.8 प्रतिशत रहा एवं निर्णय का प्रतिशत 3.93 रहा।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **अन्य अपराध वर्ग** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	568767	571527	576586
2.	दायर	303411	332796	220244
3.	योग	872178	904323	796830
4.	कमिट (–)	6669	7104	5858
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	866115	897219	790972
ब.	दोषसिद्धि	225415	228020	125098
स.	दोषमुक्ति	25242	26454	8909
द.	अन्य ढंग से	43325	66159	40146
5.	कुल निर्णित प्रकरण	293982	320633	174153
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	571527	576586	616819
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	90.44	89.60	93.35
8.	निर्णय का प्रतिशत	34.30	35.74	22.02

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **भारतीय दण्ड सहिता** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	401657	401275	409590
2.	दायर	91009	105485	82442
3.	योग	492666	506760	492032
4.	कमिट (–)	6418	6907	6432
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	486248	499853	485600
ब.	दोषसिद्धि	32622	31168	15370
स.	दोषमुक्ति	21734	22725	7754
द.	अन्य ढंग से	30617	36370	16879
5.	कुल निर्णित प्रकरण	84793	90263	40003
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	401275	409590	445597
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	60.02	57.83	66.47
8.	निर्णय का प्रतिशत	17.48	18.06	8.24

6. **आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ** :–

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 66.47 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 93.35 रहा है।

2. पदौन्नति –

(अ) अभियोजन सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	वर्ष 2019–20 व 2020–21 की पदोन्नति की जानी शेष है।
2.	उप निदेशक अभियोजन	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
3.	सहायक निदेशक अभियोजन	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
4.	अभियोजन अधिकारी	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।

(ब) मंत्रालयिक सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	निजी सचिव	वर्ष 2018–19 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
2.	निजी सहायक	वर्ष 2015–16 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसके पश्चात् शीघ्र लिपिक के पदों पर कोई कार्मिक पदस्थापित नही है
3.	संस्थापन अधिकारी	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
4.	प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
5.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
6.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
7.	वरिष्ठ सहायक	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रकियाधीन है।
8.	कनिष्ठ सहायक	वर्ष 2020–21 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।

3 भवनों के सम्बन्ध में:– वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय बाड़मेर व एसीबी भरतपुर, अभियोजन अधिकारी कार्यालय लूणकरणसर, विजयनगर, दूदू, सरवाड़, पुष्कर, आमेट, रेलमगरा के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनमे से **बाड़मेर,एसीबी भरतपुर, दूदू, आमेट, रेलमगरा एवं पुष्कर का भवन निर्माण पूर्ण होकर 6 भवनो का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है** तथा शेष भवनो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी कार्यालय देवली, नाथद्वारा, भीम, देवगढ, कुम्भलगढ, खोखरिया मण्डोर, लखेरी, पदमपुर एव एडीपी कार्यालय सीकर के प्रथम तल हेतु वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा भवनो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4 नियुक्तिः– वर्ष 2020 में माह दिसम्बर 2020 तक 29 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ सहायक, 380 राजस्थान लोक सेवा आयोग एंव 1 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है।

5 पद सृजन– विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 मे 1 पद अतिरिक्त निदेशक (एसीबी कार्यालय) तथा 6 पद सहायक निदेशक अभियोजन के सृजित कराये गये है।

6 बजट – अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014–00–114–02–01 (State Fund) में वर्ष 2020–21 मे ₹9911.04 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्व माह दिसम्बर 2020 तक ₹7669.38 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059–80–(051)–08–00–(17)(Non Plan) मे वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि ₹238.16 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2020 तक राशि ₹156.85 लाख का व्यय हो चुका है।

7 निरीक्षण – वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर तक विभागीय अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के 61.89 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।

8 E-prosecution Software को प्रायोगिक आधार पर पुलिस थाना चौमू (जयपुर पश्चिम) और पुलिस थाना सांगानेर सदर (जयपुर दक्षिण) चिन्हित किया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस/अभियोजन विभाग पत्रावली/विधिक राय ऑनलाईन प्रस्तुत करेगे।

9 **भर्ती हेतु अर्थना** –विभाग द्वारा 48 सहायक अभियोजन अधिकारी के पदो पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 02.09.2020 तथा शीघ्र लिपिक के 09 पदो की दिनांक 19.05.2020 को प्रशासनिक सुधार(अनु–3) विभाग को अर्थना भेजी गई है।

.....